13th एनिवर्सरी स्पेशल

सशक्त स्त्री सफल अर्थव्यवस्था

स्त्री सशक्तीकरण अब केवल सरकारी नारों और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया, भारतीय समाज का हर तबका स्वयं इसकी ज़रूरत महसूस करने लगा है। क्योंकि परिवार ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था की सफलता का रास्ता भी इससे होकर ही जाता है। इसके मद्देनज़र भारतीय अर्थव्यवस्था में स्त्री की भागीदारी का आकलन।

ऐसा कोई दौर नहीं रहा है जब किसी परिवार से लेकर देश तक की अर्थव्यवस्था में स्त्रियों का योगदान पुरुषों से कम रहा हो। चाहे वे घर में रहकर परिवार की देखभाल करती रही हों, या फिर बाहर निकल कर नौकरी-व्यापार आदि कर के परिवार की समृद्धि में सीधे हाथ बंटाती रही हों। उनके योगदान और महत्व को खुले मन से स्वीकार किया जाता रहा है। प्राचीन परंपरा से जुड़े कई समुदाय आज भी मातृ सत्तात्मक हैं, जहां परिवार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की निर्णायक हैसियत है। फिर भी अधिकतर एशियाई समाजों में आज स्त्रियों की गिनती पुरुषों के बाद होती है। इसकी बड़ी वजह आर्थिक भागीदारी को केवल प्रत्यक्ष रूप से आय बढ़ाने वाले कार्यों तक देखा जाना है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राचीन भारत में स्त्रियों को पुरुषों के ही समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में स्त्रियां न केवल शिक्षित थीं, बल्कि गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ स्त्रियों को तो ऋषियों और मनीषियों का स्तर प्राप्त था। बाद में स्थिति बिगड़ती गई और यह दौर लंबे समय तक जारी रहा। इस दौरान जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, वह स्त्रियों की शिक्षा थी। शिक्षा स्त्रियों के मामले में केवल उच्च वर्ग तक सीमित होकर रह गई। हालांकि प्रत्यक्ष योगदान के नज़रिये से देखें तो तत्कालीन भारत के दो सबसे प्रमुख व्यवसायों कृषि और हस्तशिल्प में सर्वाधिक संख्या स्त्रियों की ही बनी रही। यह अलग बात है कि इसमें अधिकतम संख्या कम आयवर्ग वाले परिवारों की स्त्रियों का था। ग्रामीण भारत की स्थिति आज भी यही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशियाई देशों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार कृषि और संबद्ध उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी आज भी 89.5 फ़ीसद की है। कुल कृषि उपज में उनकी श्रमशक्ति का योगदान 55 से 66 प्रतिशत है। रोज़गार के शहरी क्षेत्रों में भी अब स्थिति कमज़ोर नहीं रह गई है। सॉफ्टवेयर उद्योग में स्त्रियों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।

नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रो. आर. के. वारिक के अनुसार, 'हमारी प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में योगदान को केवल प्रत्यक्ष आय से जोड़कर देखने की है। इससे होममेकर्स के योगदान की अनदेखी होती है। जबकि आज बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित स्त्रियां भी होममेकर्स हैं। वे अगर घर से बाहर निकलें या घर में ही अपने

कोई व्यवसाय कर लें तो निश्चित रूप से बड़ी आय कर सकती हैं। अगर वे घर में ही हैं तो भी तय है कि आप उनकी घरेलू ज़िम्मेदारी को आय से अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन यह आपकी आर्थिक स्थिति में उनका बड़ा योगदान है।'

बढ़ी नहीं भागीदारी

इस तर्क पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन श्रम के अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में जब तुलना की जाती है तो भारत की स्त्रियां काफ़ी पीछे छूट जाती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा तैयार की गई 'इंडिया लेबर एंड एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट 2014' में इस बात पर चिंता जताई गई है कि स्त्रियों की समग्र श्रमशक्ति भागीदारी दर आज भी कमोबेश वही है, जो 25 साल पहले थी। नेशनल सैंपल सर्वे के हालिया आंकड़ों के अनुसार तो यह घटी है। यह बात हैरत में डालने वाली है कि जहां एक तरफ़ हमारे समाज में लैंगिक समानता की धारणा मजबूत हुई और राजनीति व उद्योग से लेकर साहित्य, विज्ञान, कला, खेल आदि सभी क्षेत्रों में कई स्त्रियां रोल मॉडल के रूप में उभरी हैं, वहीं समग्रता में रोज़गार में उनकी भागीदारी घटी है।

हालांकि शिक्षा के साथ-साथ रोज़गार के कुछ नए क्षेत्रों- जैसे कॉल सेंटर्स, बीपीओ, शिक्षा जगत, मीडिया और सर्विस सेक्टर में यह भागीदारी बढ़ती दिख रही है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से जुड़े पॉलिसी एक्सपर्ट हर्ष श्रीवास्तव इसे अलग नज़रिये से देखते हैं। उनका मानना है, 'घरों में स्त्रियों का जो योगदान है, उसे किसी सर्वे के तहत जोड़ते ही नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई तरीक़ा ही नहीं है कि उसे अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जोड़ सकें। हालांकि हमारी संस्कृति उसे पूरा महत्व देती है।'

बड़ी हैं चुनौतियां

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की समग्र भागीदारी को बढ़ाना हर्ष ज़रूरी मानते हैं। वह कहते हैं, 'अगर अपनी आबादी को एक संपदा के रूप में देखें तो श्रम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी आबादी का आधा हिस्सा घरों में बैठा है और इसका एक बड़ा वर्ग व्यावसायिक दक्षता प्राप्त है। अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो साफ़ दिखता नहीं। अगर वे काम कर सकें तो अपने परिवार की आय तो बढ़ाएंगी ही, अपने ढंग से ख़र्च भी करेंगी और बचत भी। इससे उनके साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।' इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन घरों में पति-पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, वहां बचत की संभावना बेहतर है। यह न केवल उनकी अपनी आर्थिक स्थिति, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर है। सामाजिक नज़रिये की बात करें तो अब स्त्रियों के कामकाजी होने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पढ़ाई-लिखाई में बच्चियों का समान रूप से ख़याल रखे जाने से लेकर उनके नौकरी या व्यवसाय करने तक को सकारात्मक नज़रिये से देखा जाने लगा है। समाज का हर तबका यह महसूस कर रहा है कि स्त्री-पुरुष दोनों काम करना और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन, चिंता की बात यह है कि अर्थव्यवस्था जिस रफ़्तार से बढ़ी है, उसी रफ़्तार से रोज़गार की संभावनाएं नहीं बढ़ पाईं। युवा वर्ग के लिए तेज़ी से रोज़गार सृजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उद्योग जगत के लिए हमारे श्रम क़ानून भी एक चुनौती हैं। जैसा कि हर्ष बताते हैं, 'कुछ उद्योगों में स्त्रियों का नाइट शिफ्ट में काम करना मना है। उद्योग जगत की मुश्किल यह है कि उसे बाज़ार के नियमों से चलना पड़ता है। कई उद्योगों के व्यापार सीज़नल हैं। निर्यात बढ़ता है तो उन्हें नाइट शिफ्ट में भी काम की ज़रूरत होती है, पर वे स्त्रियों को काम पर नहीं ले सकते।' यह स्थिति स्त्रियों की भागीदारी और हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है।

प्रभावी हो व्यवस्था

स्त्री सशक्तीकरण की ज़रूरत पूरा समाज भले महसूस करने लगा हो, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि समग्रता में इसके लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी है। चाइल्ड केयर की बात हो या निजी व्यवसाय के लिए ऋण और लाइसेंस आदि लेने का मुद्दा, हर तरफ़ अड़चनें हैं। स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर जो क़ानून हैं, उनका अनुपालन भी बेमन से होता दिख रहा है। बाहर निकल रही स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अराजक तत्वों से बचना है। प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में अच्छे क़ानून भी बेकार साबित हो रहे हैं। छेड़छाड़ व एसिड अटैक से लेकर सामूहिक दुष्कर्म तक के मामलों में पुलिस एफआइआर दर्ज करने से भी बचती है।

कामकाजी स्त्रियों के लिए एक बड़ी बाधा सार्वजनिक परिवहन की ख़राब हालत भी है। अराजक तत्वों और छेड़छाड़ की सबसे ज़्यादा शिकार वही स्त्रियां होती हैं जो परिवहन के सार्वजनिक साधनों पर निर्भर हैं। दिसंबर 2012 में दिल्ली के वसंत कुंज में हुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड इसका एक बड़ा और बीभत्स उदाहरण है। इसके बावजूद दिल्ली की सड़क परिवहन व्यवस्था में कोई ख़ास सुधार नहीं देखा गया। हालांकि दिल्ली मेट्रो में शुरू से ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जो स्त्रियों के लिए सुविधाजनक है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह बात सबको समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था की सफलता की बुनियादी शर्त स्त्री सशक्तीकरण है। अगर हम यह होते देखना चाहते हैं तो हर हाल में और हर जगह स्त्री की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए क़ानूनों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के सरलीकरण से लेकर पुलिस और परिवहन व्यवस्था तक को दुरुस्त करना अनिवार्य है। ✦

इष्ट देव सांकृत्यायन